



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275840
CG-DL-E-27082026-275840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4596]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4596]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4781(अ).— केंद्र सरकार, मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा परिषद की स्थापना करती है, जिसे भारतीय मध्यकता परिषद कहा जाएगा तथा इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा।

[फा. सं. ए-60011/45/2023-एडीआर]

मोहम्मद मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4781(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023), the Central Government hereby establishes a Council for the purposes of the said Act, to be called as the Mediation Council of India, which shall have its head office at Delhi.

[F. No. A-60011/45/2023-ADR]

MOHD. MUQEEM, Jt Secy & Legal Adviser